REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

शासकीय स्कूलों में वितरित निःशुल्क पुस्तकों की समीक्षा एवं पुस्तको का अवमूल्यन (छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में)

विनय प्रताप सिंह
सहायक प्राध्यापक, श्याम शिक्षा महाविद्यालय सक्ती
जिला – जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सारांश

शासकीय स्कूलों में वितरित निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें छात्रों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, केवल पुस्तकों का वितरण ही पर्याप्त नहीं है, उनकी रख रखाव, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

वर्तमान समय में अधिकांश नास्ता दुकान, ठेला और चौपाटी के दुकानों पर शासकीय पुस्तको के पन्नों पर समोसा, बड़ा, भज़िया परोसते हुए देखा जा सकता है जो शासकीय पुस्तको के अवमूल्न का ज्वलंत उदाहरण है।

यह शोध–पत्र शासकीय विद्यालयों में वितरित निःशुल्क पुस्तकों की समीक्षा एवं अवमूल्यन की प्रक्रिया, उसके उद्देश्यों और परिणामों का विश्लेषण करता है।

अध्ययन में यह पाया गया कि नियमित समीक्षा एवं सुधार से पुस्तकों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी पुस्तकों की समावेशिता एवं संवेदनशीलता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर किया जाता है ताकि सभी बच्चों को समान और समुचित शिक्षा मिल सके।शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, और विद्यार्थियों को दी जाने वाली पाठ्यपुस्तकें उस शिक्षा प्रणाली का मूल आधार होती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सरकारी शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शासकीय पुस्तकों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती हैं और अधिकांशतः यही बच्चों की एकमात्र अध्ययन सामग्री होती हैं।

परंतु हाल के वर्षों में विशेषतः छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय पुस्तकों के अवमूल्यन की स्थिति सामने आई है, जो चिंता का

विषय बन चुकी है।शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान का संचरण है, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना भी है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो। यह पहल शिक्षा के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इतिहास

छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय पुस्तकों का इतिहास शुरुआती सकारात्मक प्रयासों से शुरू होकर अब गुणवत्ता, निष्पक्षता और वितरण की समस्याओं से जूझ रहा है। पुस्तकों का अवमूल्यन एक ऐसी प्रक्रिया रही है जो धीरे–धीरे बढ़ती गई । पहले गुणवत्ता की उपेक्षा, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप और अंत में प्रशासनिक लापरवाही के कारण।

अब यह आवश्यकता है कि राज्य शिक्षा नीति के अंतर्गत पुस्तकों के पुनरावलोकन और सुधार को इतिहास के सबक के रूप में लिया जाए और एक बेहतर भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राज्य बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिनमें से एक प्रमुख कदम था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT,Chhattisgarh) की स्थापना, जिसका उद्देश्य राज्य के अनुसार उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित करना था।

आरंभ में राज्य ने NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाया और उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया। धीरे–धीरे छत्तीसगढ़ ने अपनी स्वयं की शासकीय पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी शुरू कीं, जिनमें स्थानीय संस्कृति, जनजातीय परंपराएँ और क्षेत्रीय इतिहास को भी जोड़ा गया। यह एक सकारात्मक पहल थी, लेकिन समय के साथ कुछ चुनौतियाँ भी उभरने लगीं।

मुख्य ऐतिहासिक घटनाएँ क्रमः–

भारत में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया। विशेष रूप से 1960 के दशक से सरकारी स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण प्रारंभ हुआ, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर मिल सकें।1970 और 1980 के दशक में शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ पुस्तकों की गुणवत्ता और सामग्री पर भी ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। तब से नियमित रूप से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा एवं सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ (National Education Policies), विशेषकर 1986 और 2020 की नीतियों ने शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता, समावेशिता, और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी। इसके तहत शासकीय स्कूलों में वितरित निःशुल्क पुस्तकों की समीक्षा एवं अवमूल्यन की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया गया।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहाँ सामाजिक–आर्थिक और भाषाई विविधता अधिक है, वहां पुस्तक समीक्षा एवं अवमूल्यन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि पुस्तकों में स्थानीय संदर्भ और सांस्कृतिक तत्व शामिल हो सकें।

आज के समय में, शिक्षा के डिजिटलीकरण और नई तकनीकों के समावेश के साथ, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और भी व्यापक और बहुआयामी हो गई है, जिसमें डिजिटल सामग्री और विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

1. 1947–1960: स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक शिक्षा नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए। इस दौर में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों का वितरण शुरू हुआ, ताकि

आर्थिक बाधाओं के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। हालांकि, उस समय पुस्तकों की गुणवत्ता और सामग्री पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।

2. 1960—1980: शिक्षा विस्तार और प्रारंभिक समीक्षा

इस अवधि में देश भर में शिक्षा का विस्तार हुआ और शासकीय विद्यालयों की संख्या बढ़ी। साथ ही, इस समय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964—66) की रिपोर्टों ने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। इसी के तहत पुस्तकों की समीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे सामग्री को छात्रों के स्तर और पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाने का प्रयास शुरू हुआ।

3. 1986: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 1986)

यह नीति शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का मील का पत्थर साबित हुई। इसमें शैक्षिक सामग्री की समीक्षा, समावेशिता और बालकों की भाषा व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार पाठ्यपुस्तकों के विकास पर जोर दिया गया। शासकीय स्कूलों में वितरित निःशुल्क पुस्तकों की नियमित समीक्षा को नीति द्वारा बढ़ावा मिला।

4. 1990—2000: सामुदायिक भागीदारी और मानकीकरण

इस दशक में शिक्षा क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संदर्भों को महत्व दिया गया। पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और सामाजिक विविधता को शामिल करने के लिए प्रयास किए गए। इसके साथ ही, पुस्तक सामग्री के मुद्रण गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया को भी सुधारा गया।

5. 2003 — 2008

- शिक्षा का विस्तार हुआ, परंतु पुस्तक निर्माण में गुणवत्ता की कमी दिखने लगी।
- छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भारी कमी और प्रशिक्षण की कमजोर स्थिति ने पुस्तकों के प्रभावी उपयोग को चुनौतीपूर्ण बना दिया।

6. 2009—2014

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF 2005) के आधार पर नई पुस्तकों का निर्माण हुआ।
- यद्यपि शैक्षणिक दृष्टिकोण से सुधार की कोशिश की गई, लेकिन छपाई की गुणवत्ता, वितरण में देरी और विषयवस्तु की असंगतियाँ सामने आईं।

7. 2015— से वर्तमान तक

- शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा पुस्तकों की त्रुटियों की शिकायतें बढ़ने लगीं।
- राजनीतिक बदलाव के साथ कुछ पुस्तकों में विषयवस्तु परिवर्तन किए गए, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगा।
- डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई लेकिन शासकीय पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध नहीं थीं।
- किताबों की गुणवत्ता को लेकर छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रेस में कई बार मुद्दा उठाया गया।
- SCERT द्वारा कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए, लेकिन विस्तृत समीक्षा व संशोधन की प्रक्रिया धीमी है।
- पुस्तकों में कई अध्यायों को राजनीतिक रूप से तटस्थ न होने का भी आरोप मिला।

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में—

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद (2000 में), राज्य सरकार ने अपनी शिक्षा नीतियों के तहत स्थानीय भाषाओं, जनजातीय संस्कृतियों और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क पुस्तकों का विकास और समीक्षा शुरू किया। विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए सामग्री को अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने पर जोर दिया गया है।

स्थापना —

छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम का गठन छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत 5 अगस्त 2004 को हुआ। निगम का संचालन छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम नियम 2004 के अंतर्गत होता है।

- छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम का मुख्यालय वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, पेंशन बाडा, रायपुर में स्थित है। इसके अलावा निगम के 08 डिपों हैं जो विभिन्न जिलों में स्थित हैं, जहाँ से पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है।

क्र.	डिपो का नाम (हिंदी में)	डिपो का नाम (अंग्रेजी में)	डिपो का पता
1	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, बिलासपुर	C.G. Text Book Corp. Book Depot Bilaspur	बिलासपुर रतनपुर रोड ग्राम गतौरी पोस्ट सेमरताल बिलासपुर (छ.ग.)
2	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, रायपुर	C.G. Text Book Corp. Book Depot Raipur	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर –3 भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया नियर उरकुरा रेलवे स्टेशन, रायपुर (छ.ग.) 493221
3	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, रायगढ़	C.G. Text Book Corp. Book Depot Raigarh	स्टेट वेयर हाउसिंग बोर्ड, कबीरचौक, रायगढ (छ.ग.)
4	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, राजनांदगॉव	C.G. Text Book Corp. Book Depot Rajnandgaon	श्री रमेश भाई पटेल, जयश्री टिम्बर, जी. ई. रोड, राम दरबार मंदिर के पास, रायपुर नाका, राजनांदगॉव (छ.ग.)
5	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, जगदलपुर	C.G. Text Book Corp. Book Depot Jagdalpur	पुरानी शराबभट्टी, राजेन्द्रनगर, जगदलपुरअ(छ.ग.)
6	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तकभण्डार, अंबिकापुर	C.G. Text Book Corp. Book Depot Ambikapur	रामानुज गंज रोड, शंकरघाट अंबिकापुर (छ.ग.)
7	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, कांकेर	C.G. Text Book Corp. Book Depot Kanker	ग्राम– गढ़पिछवाड़ी, अग्रसेन आई.टी. आई के बगल में, जगदलपुर रोड़ कांकेर (छ.ग.)
8	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, कबीरधाम	C.G. Text Book Corp. Book Depot Kabirdham	रायपुर रोड़, बाईपास चौक कबीरधाम (छ.ग.)

- हर साल निगम द्वारा लगभग दो करोड पुस्तकें प्रदाय की जाती है, जिनके प्रकाशन का माध्यम अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू है। निगम द्वारा कुल 176 टाईटल्स मुद्रित किए जाते है।

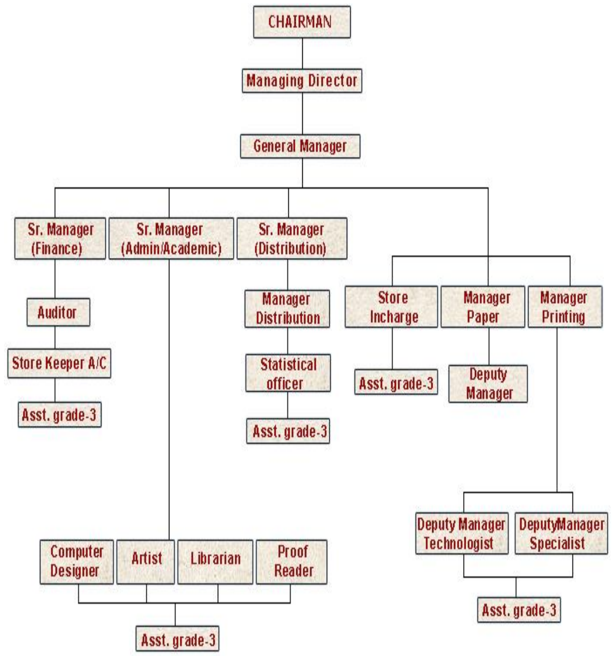

संस्था के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण –

1. स्कूलों तथा शिक्षकों के लिए पुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री तथा सभी प्रकार के पठन–पाठन सामग्री का निर्माण करना, मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करना तथा उनसे संबंधित अन्य सभी कार्य करना।

2. शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपयोगी साहित्य का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करना।

3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण तथा उनसे संबंधित सभी अन्य कार्या ।

उद्देश्य –

स्कूलों तथा शिक्षकों के लिए पुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री तथा सभी प्रकार का पठन–पाठन सामग्री का निर्माण करना, मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करना तथा उनसे संबंधित अन्य सभी कार्य करना। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपयोगी साहित्य का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करना। छ.ग. शासन द्वारा अनुमोदित पाठ् यक्रमों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण तथा उनसे संबंधित सभी अन्य कार्य।

अध्यक्षों की सूचीः–

S.No	Name	Work Period
1	श्री राजेश मूणत	05.08.2004 से 09.11.2004 तक
2	श्री भीमसेन अग्रवाल	10.11.2004 से 14.01.2009 तक
3	श्री बृजमोहन अग्रवाल	17.03.2009 से 25.05.2010 तक
4	श्री अशोक शर्मा	02.06.2010 से 19.12.2013 तक
5	श्री दिनेश श्रीवास्तव, (भा.प्र.से.)	23.12.2013 से 01.07.2014 तक
6	श्री सुब्रत साहू, (भा.प्र.से.)	01.07.2014 से 05.08.2015 तक
7	श्री देवजी पटेल, (विधायक धरसींवा)	05.08.2015 से अब तक

I. शासकीय पुस्तकों का महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार की गई पुस्तकें ही अध्ययन का एकमात्र माध्यम हैं। ये पुस्तकें न केवल विषयवस्तु प्रदान करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी विकसित करती हैं।

II. अवमूल्यन के मुख्य कारण– (Devaluation)

एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर घटा दिया जाता है। यह आमतौर पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। अवमूल्यन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

(i) अप्रासंगिक विषयवस्तु

छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय पाठ्यपुस्तकों में दी गई विषयवस्तु कई बार वर्तमान समय की आवश्यकता और छात्रों की जमीनी समझ से मेल नहीं खाती।

इसका प्रमुख कारण यह है कि इन पुस्तकों को वर्षों तक बिना अद्यतन (update) किए उपयोग में लाया जाता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों में नए अनुसंधान और नीतियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन कई किताबों में अब भी पुराने और अप्रासंगिक आंकड़े या जानकारियाँ शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, कुछ पुस्तकों में भारत के जनसंख्या आंकड़े या सरकारी योजनाओं का उल्लेख वर्षों पुराने डेटा पर आधारित है, जबकि नए कार्यक्रमों जैसे "स्वच्छ भारत मिशन", का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

इसी तरह, स्थानीय (छत्तीसगढ़ी) संस्कृति, जनजातीय परंपराएँ और भाषा–संबंधित सामग्री या तो बहुत सीमित है या गलत संदर्भों में प्रस्तुत की गई है। इससे न केवल बच्चों की स्थानीय पहचान की समझ कमजोर होती है, बल्कि विषय से उनका जुड़ाव भी कम होता है।

परिणामस्वरूप–बच्चों को विषय में रुचि नहीं होती, वे परीक्षा में केवल रटकर उत्तर देते हैं, और व्यावहारिक जीवन में उन जानकारियों का कोई उपयोग नहीं कर पाते।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि शासकीय पुस्तकें समय–समय पर अद्यतन की जाएँ और उनमें समसामयिक, व्यावहारिक तथा स्थानीय संदर्भों से जुड़ी जानकारी सम्मिलित की जाए।

(ii) भाषाई वर्तनी और अनुवाद की त्रुटियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय पाठ्यपुस्तकों में एक गंभीर समस्या के रूप में भाषाई अशुद्धियाँ, वर्तनी की गलतियाँ और अनुवाद की त्रुटियाँ देखी गई हैं। यह केवल एक शैक्षणिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह छात्रों के भाषा–ज्ञान, संप्रेषण क्षमता और सोचने–समझने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती है।

अ. वर्तनी की त्रुटियाँ

कई बार पुस्तकों में शब्दों की वर्तनी गलत होती है, जैसे कि ष्स्वास्थ्यष को ष्स्वास्थष लिखा गया हो, या ''प्रदूषण'' को ''प्रदुषण''। जब बच्चा बार–बार इन शब्दों को गलत रूप में पढ़ता है, तो वह यही गलतियाँ दोहराने लगता है। यह उसकी भाषा की बुनियाद को कमजोर करता है।

ब. व्याकरणिक दोष

कई पाठों में क्रिया–रूप, वचन और काल का प्रयोग गलत तरीके से किया गया होता है। जैसे–
''बच्चे खेलता है''– यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार की गलतियाँ पुस्तकों में देखी जाती हैं।

स. अनुवाद की समस्याएँ

पाठ्यपुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करते समय कई बार अंग्रेजी के वाक्यों का शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है या वह अटपटा लगने लगता है।

उदाहरणः

अंग्रेजी वाक्य –He is feeling blue.
गलत अनुवाद –''वह नीला महसूस कर रहा है।''
सही अनुवाद –''वह उदास महसूस कर रहा है।''

(iii). स्थानीय भाषा की उपेक्षा

छत्तीसगढ़ी भाषा या बोलियों को समझे बिना किया गया अनुवाद कई बार विद्यार्थियों के लिए अस्पष्ट हो जाता है। इससे बच्चों में भाषा के प्रति रुचि कम हो जाती है और वे रटने पर मजबूर हो जाते हैं।

प्रभाव

- छात्र गलतियाँ सीखते हैं और परीक्षा में भी उन्हें दोहराते हैं।
- शिक्षक को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है ताकि वह छात्रों को सही जानकारी दे सके।
- भाषा के प्रति छात्र में भ्रम, डर और अरुचि उत्पन्न होती है।

(iv) राजनीतिक हस्तक्षेप

राजनीतिक हस्तक्षेप शासकीय पाठ्यपुस्तकों की विश्वसनीयता और शैक्षणिक निष्पक्षता पर गंभीर प्रभाव डालता है। जब शिक्षा और पाठ्यक्रम को राजनीतिक विचारधारा, दलगत नीतियों या सत्ता पक्ष के हितों के अनुरूप ढाला जाता है, तब छात्र ज्ञान के बजाय प्रचार का शिकार बनते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी यह समस्या समय–समय पर सामने आई है।

1.पाठ्यवस्तु में पक्षपातपूर्ण बदलाव

राजनीतिक प्रभाव के कारण कई बार इतिहास, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में तथ्यों को बदला या छिपाया जाता है।
उदाहरण के लिए–

- स्वतंत्रता संग्राम में सभी नेताओं के योगदान को समान रूप से न दिखाकर केवल किसी एक विचारधारा से जुड़े नेताओं को प्रमुखता देना।
- किसी विशेष राजनीतिक दल या सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करना, जबकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हटाना।

2. शिक्षा के उद्देश्य से भटकाव

शिक्षा का मूल उद्देश्य है– नैतिकता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक जागरूकता का विकास, लेकिन जब पाठ्यक्रम को राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप ढाला जाता है, तब छात्रों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है और वे तथ्यों की बजाय''एकपक्षीय दृष्टिकोण''सीखते हैं।

3. पाठ्यपुस्तकों की बार–बार समीक्षा और संशोधन

राज्य सरकार बदलते ही पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और पुनर्लेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे–

- शैक्षणिक निरंतरता बाधित होती है,
- शिक्षक भी असमंजस में रहते हैं,
- और छात्रों को हर वर्ष नया पाठ्यक्रम झेलना पड़ता है।

4. क्षेत्रीय असंतुलन और उपेक्षा

राजनीतिक हस्तक्षेप का एक और दुष्परिणाम यह होता है कि कुछ क्षेत्रों, जनजातियों या ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की उपेक्षा होती है क्योंकि वे किसी खास विचारधारा से मेल नहीं खाते।

प्रभाव–

- छात्रों में आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता।
- इतिहास या समाजशास्त्र जैसे विषयों में तथ्यात्मक दृष्टिकोण के बजाय भावना प्रधान दृष्टिकोण हावी हो जाता है।

➢ शिक्षक भी पाठ पढ़ाने के दौरान असहज महसूस करते हैं, खासकर जब पुस्तक की सामग्री विवादास्पद हो।

(iv) छपाई की गुणवत्ता और वितरण में अनियमितता

छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय पुस्तकों से संबंधित एक और गंभीर समस्या है – पुस्तकों की छपाई की गुणवत्ता का निम्न स्तर और वितरण व्यवस्था में अनियमितता। यह समस्या न केवल छात्रों की पढ़ाई को बाधित करती है, बल्कि पूरे शैक्षणिक ढांचे की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

1. छपाई की निम्न गुणवत्ता

शासकीय पुस्तकों की छपाई कई बार इतनी खराब होती है कि बच्चे उन्हें पढ़ने में असमर्थ होते हैं।

➢ **धुंधले अक्षर**– बहुत सी किताबों में टेक्स्ट स्पष्ट नहीं होता।

➢ **फटे या चिपके हुए पन्ने**– किताबें जैसे–तैसे बंधी होती हैं, जिससे कुछ दिनों में ही वे फटने या पन्नों के बाहर निकलने लगती हैं।

➢ **चित्रों की गुणवत्ता खराब**– विज्ञान, भूगोल और गणित जैसे विषयों में चित्र और चार्ट की स्पष्टता बेहद जरूरी होती है, लेकिन खराब छपाई के कारण छात्र उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते।

2. वितरण में देरी और असमानता

➢ कई स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाने के 1–2 महीने बाद तक भी पुस्तकें नहीं पहुँचतीं।

➢ कहीं पूरे सेट की आपूर्ति नहीं होती, तो कहीं एक ही विषय की दो–दो पुस्तकें पहुँच जाती हैं।

➢ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक होती है जहाँ पुस्तकें या तो देर से पहुँचती हैं या बिल्कुल नहीं।

3. प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार

➢ छपाई और वितरण का ठेका कई बार ऐसे ठेकेदारों को दे दिया जाता है जिनके पास आवश्यक संसाधन या अनुभव नहीं होता।

➢ कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में छपाई की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है।

➢ वितरण में पारदर्शिता की कमी और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है।

4. प्रभाव

➢ **पढ़ाई में बाधा**– छात्रों को महीनों तक बिना किताबों के पढ़ाई करनी पड़ती है।

➢ **वैकल्पिक स्रोतों की तलाश**– कुछ शिक्षक निजी प्रकाशनों की पुस्तकों का उपयोग करते हैं, जिससे सभी छात्रों के बीच एकरूपता नहीं रहती।

➢ **शिक्षकों पर बोझ** – किताबों के न होने से शिक्षक को अतिरिक्त सामग्री तैयार करनी पड़ती है।

III. छात्रों पर प्रभाव

शासकीय पुस्तकों में विषयवस्तु की अप्रासंगिकता, भाषाई त्रुटियाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, छपाई और वितरण की अनियमितताएँ – ये सभी कमियाँ सीधे तौर पर छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। चूंकि सरकारी स्कूलों के अधिकांश छात्र सीमित संसाधनों और सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उनके पास निजी विकल्पों की सुविधा भी नहीं होती। ऐसे में इन त्रुटिपूर्ण पुस्तकों से पढ़ाई करना उनके शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

1. शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर

- गलत जानकारी या अधूरी विषयवस्तु के कारण छात्र विषय को सही ढंग से नहीं समझ पाते।
- परीक्षाओं में गलत उत्तर देने के कारण उनका प्रदर्शन कमजोर होता है।
- अच्छे अंकों के अभाव में छात्रवृत्तियाँ, प्रतियोगी परीक्षाएँ और उच्च शिक्षा के अवसर प्रभावित होते हैं।

2. आत्मविश्वास में कमी

- जब छात्र देखते हैं कि उनके उत्तर शिक्षक की अपेक्षा से मेल नहीं खाते या किताब में दी जानकारी संदिग्ध है, तो उनमें संकोच और भ्रम की भावना जन्म लेती है।
- यह आत्मविश्वास को तोड़ता है और वे खुद को पढ़ाई में कमजोर मानने लगते हैं।

3.रटने की प्रवृत्ति (Rote Learning)

- स्पष्ट और उपयोगी सामग्री के अभाव में छात्र समझने के बजाय रटने पर निर्भर हो जाते हैं।
- इससे उनकी तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता, जो भविष्य में रोजगार या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है।

4. शिक्षक–छात्र संवाद में बाधा

जब शिक्षक और छात्र के बीच पुस्तक की विषयवस्तु को लेकर मतभेद होते हैं (जैसे शिक्षक सही बता रहा हो और किताब में गलत लिखा हो), तो यह संवाद और विश्वास की प्रक्रिया को कमजोर करता है।

5. डिजिटल और निजी स्कूलों से पिछड़ना

- जिन बच्चों को बेहतर संसाधनों की सुविधा प्राप्त है, वे ऑनलाइन स्रोतों, निजी प्रकाशन की पुस्तकों आदि से आगे निकल जाते हैं।
- सरकारी स्कूलों के छात्र धीरे–धीरे शैक्षणिक असमानता का शिकार बन जाते हैं।

6. मनोवैज्ञानिक प्रभाव

- बार–बार किताबें न मिलने, देर से पाठ्यक्रम शुरू होने या त्रुटिपूर्ण सामग्री के कारण छात्र निराशा और शैक्षणिक तनाव का अनुभव करते हैं।
- कुछ मामलों में इससे स्कूल छोड़ने (drop&out) की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

IV. शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका

शिक्षा केवल विद्यालय और सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उसमें शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से जब शासकीय पुस्तकों की गुणवत्ता में गिरावट, त्रुटियाँ और वितरण की समस्याएँ सामने आती हैं, तब शिक्षक और अभिभावक ही ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं जो इन कमियों को न केवल महसूस करते हैं, बल्कि छात्रों पर इसके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।

अतः इस संकट की घड़ी में उनकी भूमिका और भी अधिक सक्रिय और उत्तरदायी हो जाती है।शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका सिर्फ पुस्तकें पढ़ाने और बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

जब शासकीय शिक्षा प्रणाली में खामियाँ हों, तो यही दोनों वर्ग मिलकर उसे सुधार की दिशा में ले जा सकते हैं। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव से छात्रों को सहारा देते हैं, जबकि अभिभावक सामाजिक स्तर पर आवाज उठाकर शिक्षा व्यवस्था को जवाबदेह बना सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें, तो पुस्तक की कमियाँ भी बच्चों की शिक्षा को बाधित नहीं कर पाएँगी।

1. शिक्षकों की भूमिका

(i) त्रुटियों की पहचान और सुधार की कोशिश

- शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय पुस्तकों में मौजूद तथ्यों, वर्तनी या अनुवाद की त्रुटियों को तुरंत पहचान सकते हैं।
- वे छात्रों को सही जानकारी देकर वैकल्पिक उदाहरण या स्वयं तैयार की गई नोट्स से पढ़ा सकते हैं।

(ii) शिक्षण पद्धति में नवाचार

- शिक्षक अपनी अनुभवजन्य समझ से कमजोर या भ्रमित करने वाले विषयों को सरल तरीके से समझा सकते हैं।
- वे ऑडियो–विजुअल, मॉडल्स, प्रोजेक्ट वर्क आदि के माध्यम से छात्रों की रुचि बनाए रख सकते हैं।

(iii) प्रशासन तक समस्याएँ पहुँचाना

- शिक्षक अपने अनुभव और छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर पुस्तक से जुड़ी समस्याओं को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO), DIET, या SCERT तक पहुँचा सकते हैं।
- समय–समय पर होने वाले शिक्षक संवाद मंच या शिक्षक संघ के माध्यम से सुझाव और शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

(iv) छात्रों का मानसिक सहयोग

जब पुस्तकें देर से मिलें या किताबों में भ्रम हो, तो शिक्षक छात्रों को मनोबल बनाए रखने की सलाह देते हैं, जिससे वे निराश न हों।

2. अभिभावकों की भूमिका

(i) नियमित संवाद बनाए रखना

- अभिभावक यदि बच्चों से नियमित रूप से पूछें कि वे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, किस विषय में कठिनाई आ रही है, तो समस्याओं की पहचान जल्दी हो सकती है।
- शिक्षक–अभिभावक बैठक (PTM) में सक्रिय भागीदारी से वे शिक्षक को फीडबैक दे सकते हैं।

(ii) बच्चों की सहायता करना

- अभिभावक, खासकर पढ़े–लिखे या जागरूक माता–पिता, बच्चों के साथ बैठकर पाठों की जाँच कर सकते हैं।
- यदि कोई गलती दिखे तो उसका सही रूप समझा सकते हैं या शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

(iii) सामूहिक प्रयास में सहयोग

स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) या ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली शिक्षा समितियों में सक्रिय भागीदारी से वे प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं कि पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारी जाए और समय पर वितरण हो।

(iv) वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराना (यदि संभव हो)

कुछ अभिभावक निजी स्तर पर अपने बच्चों को बेहतर किताबें या डिजिटल सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उनके बच्चे गलत या अपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें।

V. समाधान के उपाय

शासकीय पुस्तकों के अवमूल्यन की समस्या गंभीर होने के साथ–साथ व्यवस्थित समाधान की भी माँग करती है। यदि समय रहते उपयुक्त कदम न उठाए जाएँ, तो इसका दीर्घकालिक असर छात्रों की शिक्षा, शिक्षकों की कार्यक्षमता और राज्य की समग्र शैक्षिक स्थिति पर पड़ेगा। नीचे कुछ व्यावहारिक और प्रभावी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान शैक्षिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं–

1. पाठ्यपुस्तकों की नियमित समीक्षा और अद्यतन (Update)

SCERT और NCERT की तर्ज पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समितियाँ बनाई जाएँ, जो हर 2–3 वर्षों में पुस्तकों की समीक्षा और संशोधन करें।

विषय के अनुसार वर्तमान घटनाओं, नई नीतियों और वैज्ञानिक प्रगति को सम्मिलित किया जाए।

2. त्रुटियों को सुधारने के लिए ''फीडबैक तंत्र''

- शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से सुझाव एवं शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल या हेल्पलाइन शुरू की जाए।
- हर जिले में पाठ्यपुस्तक त्रुटि मूल्यांकन समिति बनाई जाए जो प्राप्त सुझावों की जाँच कर SCERT को रिपोर्ट दे।

3. छपाई की गुणवत्ता पर निगरानी

- छपाई से पूर्व पुस्तकों के प्रिंट सैंपल की जाँच की जाए।
- केवल उन्हीं प्रकाशकों को ठेका दिया जाए जिनके पास गुणवत्ता की गारंटी हो।
- छपाई की प्रक्रिया में तृतीय–पक्ष ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

4. समयबद्ध और पारदर्शी वितरण प्रणाली

- वितरण की निगरानी के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाए जिसमें स्कूलवार स्टॉक और वितरण स्थिति उपलब्ध हो।
- वितरण में स्थानीय निकाय, SMC (स्कूल प्रबंधन समिति) और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

5. शिक्षकों को सशक्त बनाना

- शिक्षकों को पुस्तकों की त्रुटियों से निपटने, वैकल्पिक सामग्री बनाने और छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने हेतु नियमित प्रशिक्षण (Training) दिया जाए।
- उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल सामग्री तक पहुँच दी जाए, ताकि वे कक्षा में गुणवत्ता बनाए रख सकें।

6. डिजिटल विकल्प और मल्टीमीडिया सामग्री

- प्रत्येक पुस्तक का ई–बुक संस्करण, ऑडियोबुक और वीडियो लेक्चर बनाकर राज्य के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए।
- इससे जिन छात्रों को किताब समय पर न मिले, वे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकें।

7. स्थानीय और सांस्कृतिक सन्दर्भों को जोड़ना

- पुस्तकों में छत्तीसगढ़ की लोककथाएँ, जनजातीय इतिहास, त्योहार, भाषा और समाज से जुड़ी जानकारियाँ जोड़ी जाएँ, जिससे छात्र विषय से जुड़ाव महसूस करें।
- इससे स्थानीय पहचान और संस्कृति को भी सम्मान मिलेगा।

8. राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना

- पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण केवल शैक्षणिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा किया जाए।
- पाठ्यपुस्तक बोर्ड की कार्यप्रणाली को स्वतंत्र और गैर–राजनीतिक बनाया जाए।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय पुस्तकों का अवमूल्यन केवल एक शैक्षणिक समस्या नहीं, बल्कि यह सामाजिक और भविष्य निर्माण से जुड़ा हुआ गंभीर प्रश्न है। इन पुस्तकों की अप्रासंगिक विषयवस्तु, भाषाई और अनुवाद संबंधी त्रुटियाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा छपाई और वितरण में अनियमितताएँ छात्रों की शिक्षा को बाधित कर रही हैं। इसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता, आत्मविश्वास, और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ता है। शिक्षक और अभिभावक तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन जब मूल सामग्री यानी पाठ्यपुस्तक ही त्रुटिपूर्ण हो, तो सुधार के प्रयास अधूरे रह जाते हैं।

''जब तक छ.ग. पाठ्यपुस्तक के पन्नों पर बिकेगा बड़ा और समोसा।
तब तक पुस्तक का अवमूल्यन होता रहेगा ऐसे ही हमेशा।।''

इसलिए आवश्यक है कि सरकार, शैक्षिक संस्थान, शिक्षाविद्, शिक्षक और समाज सभी मिलकर इस समस्या का समाधान ढूँढें। पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, नियमित समीक्षा, तकनीकी सहयोग, पारदर्शी वितरण व्यवस्था और गैर–राजनीतिक हस्तक्षेप रहित पाठ्यक्रम ही इस दिशा में स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं।यदि शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत करनी है, तो शासकीय पुस्तकों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को

सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही होगा। तभी हम एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार कर पाएँगे।

संदर्भ ग्रंथः–

1. https://www.tbc.cg.nic.in/main1.aspx?1
2. Chhattisgarh Text Book Corporation, Raipur CG
3. https://www.tbc.cg.nic.in/
4. छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के बाजार का सर्वे।
5. Wikipedia.